न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– उज्ज्वल राठौड़, I.A.S.

प्रकरण संख्या –67/2015 (अपील)

GCMS No. 2015/00030

1. आबिद पुत्र श्री मोहम्मद युनूस जाति मुसलमान निवासी खैराबाद रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. भूतिया पुत्र लक्ष्मण जाति भील निवासी ग्राम भवानीपुरा तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ राज0

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 27.02.2015 प्रकरण संख्या 10/2014 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी अन्तर्गत धारा 183–बी,रा.का. अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री रामप्रसाद नागर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः– 25.08.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में दिनांक 27.02.2015 को निर्णय पारित किया कि– "अप्रार्थी ने उक्त विवादित आराजी पर प्रार्थी के खाते की भूमि पर कब्जा बिना विधिक प्राधिकार के किया है । अतः अप्रार्थी को उक्त विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश दिये जांते है । भू–अभिलेख निरीक्षक खैराबाद एवं पटवारी हल्को को तहरीर जारी करें कि 7 योम में अप्रार्थी को बेदखल कर प्रार्थी को कब्जा संभलाया जावें ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 13.03.2015 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट ने तहसील रामगंजमण्डी कोटा में अपीलान्ट के विरूद्व उसके द्वारा दिनांक 20.12.2013 को देबिया पुत्र भैरिया भील निवासी फतेहपुर से खरीद की हुई ख0नं0 367/0.03 हे0, तथा खसरा नम्बर 368/0.37 हे0 खसरा नम्बर 420/0.41 हे0 कुल तीन किता 0.81 हे0 भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर काश्त कर लेने का झूंठा आरोप लगाकर आर.टी.एक्ट की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने रेस्पोडेन्ट भूतिया व अपीलान्ट दौनों का बयान रिकार्ड किये बिना ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर न देकर केवल मात्र हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार मानकर उक्त भूमि से बेदखल करने की आज्ञा दे दी है । अपीलान्ट व उसकी पत्नि श्रीमति रिजवाना द्वारा दिनांक 15.5.2004 से जगन्नाथ पुत्र रघुनाथ माली निवासी सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी से क्रय की गयी, साबिक खसरा नम्बर 224 की 12 बीघा 10 बिस्वा

जिला कलेक्टर
कोटा

भूमि पर ही अपनी समीपवर्ती पोलिस फैक्ट्री का मलबा डालने के रूप में काम में लिया जाता रहा है और उक्त भूमि के बाद सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 343/0.98 हे0, 386/0.54 हे0, तथा 367/0.50 हे0 बनाये गये है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 भूतिया भीलके नाम से खरीद की हुई साबिक खसरा नम्बर 236 की हाल खसरा नम्बर 367/0.03 हे0, 368/037 हे0, 420/0.41 हे0 कुल 0.81 हे0 भूमि के लगे हुये है और उक्त भूमि को शिव पुत्र धन्ना ब्राह्मण निवासी खातीखेड़ा तहसील रावतभाटा के निर्देशन में ही देबिया पुत्र भैरू भील निवासी फतेहपुरा द्वारा दिनांक 20.12.2013 को भूतिया भील को विक्रय किया गया है । उक्त आधार पर रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 भूतिया भील द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट द्वारा गत नौ वर्षो से अवैध रूप से हाक जोतकर काश्त करने का आरोप सर्वथा मिथ्या और तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर न देकर आर्बीट्रेरी रूप से उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया, रेस्पो0 की ओर से विद्वान अभिभाषक उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने रेस्पोडेन्ट भूतिया व अपीलान्ट दौनों का बयान रिकार्ड किये बिना ही अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर न देकर केवल मात्र हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा होने की मिथ्या रिपोर्ट को ही आधार मानकर उक्त भूमि से बेदखल करने की आज्ञा दे दी है । अपीलान्ट व उसकी पत्नि श्रीमति रिजवाना द्वारा दिनांक 15.5.2004 से जगन्नाथ पुत्र रघुनाथ माली निवासी सोहनखेडा तहसील रामगंजमण्डी से क्रय की गयी, साबिक खसरा नम्बर 224 की 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही अपनी समीपवर्ती पोलिस फैक्ट्री का मलबा डालने के रूप में काम में लिया जाता रहा है और उक्त भूमि के बाद सेटलमेन्ट में नये खसरा नम्बर 343/0.98 हे0, 386/0.54 हे0, तथा 367/0.50 हे0 बनाये गये है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 भूतिया भील के नाम से खरीद की हुई साबिक खसरा नम्बर 236 की हाल खसरा नम्बर 367/0.03 हे0, 368/037 हे0, 420/0.41 हे0 कुल 0.81 हे0 भूमि के लगे हुये है और उक्त भूमि को शिव पुत्र धन्ना ब्राह्मण निवासी खातीखेडा तहसील रावतभाटा के निर्देशन में ही देबिया पुत्र भैरू भील निवासी फतेहपुरा द्वारा दिनांक 20.12.2013 को भूतिया भील को विक्रय किया गया है । तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा उक्त सम्बन्ध में अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर न देकर आर्बीट्रेरी रूप से उक्त निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि भूतिया भील द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई है तथा खातेदार भूतिया भील ही है जिस पर अपीलान्ट द्वारा नाजायजरूप से कब्जा करने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 27.2.2015 कानून सम्मत पारित किया है जो उचित है, उक्त निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है । तथा मौके पर रेसपोडेन्ट द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा मौके पर अब कोई विवाद नहीं है । अतः अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील तहसीलदार रामगंजमण्डी के आदेश दिनांक 27.02..2015 अन्तर्गत धारा 183–बी रा0टी0एक्ट 1955 के विरूद्व अन्दर मियाद पेश की गई है । वकील अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किये है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सकें । भूमिधारी खातेदार देबीया भील है, पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अप्रार्थी अपीलान्ट द्वारा नाजायजरूप से कब्जा करने पर अप्रार्थी अपीलान्ट को बेदखल किया जाकर कब्जा प्रार्थी रेस्पो0 को संभलाया गया है इसमें कोई अनुचित नहीं है । कानून एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार उक्त विवादित भूमि का खातेदार प्रार्थी रेस्पो0 भूतिया ही होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाते है ।

7. परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने के ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.02.2015 निरस्त किया जाता है

8. निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा